संख्या-7/2019/**648/12-3-2019-100(61)/12**टी.सी.

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2019

विषय:- **कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं में समस्त मानव चालित ,पशु चालित, कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों एवं रू0 10000 तक अनुदान वाले शक्ति चालित कृषि यंत्रों कृषि रक्षा उपकरणों एवं रू0 10000 से अधिक अनुदान वाले शक्ति चालित कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में वितरित करने तथा अनुदान की डी0बी0टी0 व्यवस्था के सरलीकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-अभि0/145/कृषि यंत्रीकरण/डी.बी.टी./2019-20, दिनांक 03.05.2019 एवं पत्रांक-अभि0/259/कृषि यंत्रीकरण/डी.बी.टी./2019-20, दिनांक 28.05.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यंत्रों के वितरण की व्यवस्था को निम्न प्रकार संशोधित किये जाने की एतद्द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(क) **मानव चालित, पशु चालित कृषि यंत्रो तथा कृषि रक्षा उपकरणों एवं रू0 10000 तक अनुदान वाले शक्ति चालित कृषि यंत्रों पर अनुदान वितरण एवं डी0बी0टी0 के संबंध में-**

मानव चालित, पशु चालित कृषि यंत्रों तथा कृषि रक्षा उपकरणों एवं रू0 10000 तक अनुदान वाले शक्ति चालित कृषि यंत्रों पर अनुदान पर वितरण के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु शासनादेश सं0-543/12-3- 2017- 100(61)/12 टी.सी. दिनांक 26.05.2017 के प्रस्तर 5.5 में दी गयी व्यवस्था को निम्न प्रकार सरलीकृत किया जाता है:-

1. यह सरलीकृत व्यवस्था समस्त मानव चालित, पशु चालित, कृषि यन्त्र, कृषि रक्षा उपकरणों एवं रू0 10000 तक अनुदान वाले शक्ति चालित कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान के डी.बी.टी. हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 से अग्रिम आदेशों तक लागू होगी।
2. प्रथम चरण में ऐसे यंत्रों के लक्ष्य के 90 प्रतिशत का ही वितरण किया जायेगा। उक्त लक्ष्य की पूर्ति होने के पश्चात शेष 10 प्रतिशत का वितरण किया जायेगा।
3. उक्त 90 प्रतिशत का 50 प्रतिशत उप कृषि निदेशक द्वारा प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार एवं मंगलवार को विकासखण्ड स्तर पर स्थित राजकीय बीज गोदाम पर कृषि यंत्र तथा कृषि रक्षा उपकरण विनिर्माता फर्मों के माध्यम से स्टॉल लगवाकर पारदर्शी किसान सेवा के पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों को जनपद/विकासखण्ड के निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक ''पहले आओ-पहले पाओ'' के सिद्धान्त पर उक्त यंत्रों तथा उपकरणों का वितरण कराया जायेगा। निर्धारित दिवस को अवकाश होने या अन्य कोई अपरिहार्य कारण होने से निर्धारित दिन में उप कृषि निदेशक द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा, परन्तु निर्धारित सप्ताह में दिवस दो ही रहेगें। इसकी सूचना विकासखण्ड स्थित राजकीय बीज गोदाम पर चस्पा की जायेगी तथा गॉव वासियों के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा। इसके लिए इफको के किसान काल सेन्टर के माध्यम से वायस सन्देश भेजकर भी सूचना दी जायेगी।

   उक्त के अतिरिक्त जिले एवं विकास खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले मेले एवं गोष्ठियों में भी स्टाल लगायें जायेंगें, जहॉ निर्माता कम्पनियॉ कृषकों के मध्य कृषि यन्त्रों का वितरण कर सकेंगी परन्तु यह वितरण जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य की सीमॉ तक ही किया जायेगा। लक्ष्य समाप्त होते ही स्टाल लगवाना बन्द कर दिया जायेगा।
4. उक्त 90 प्रतिशत लक्ष्यों के शेष 50 प्रतिशत यंत्रों को कृषक जनपद में स्थित विनिर्माता कम्पनियों या उनके डीलरों से सीधे क्रय कर सकेंगे। परन्तु इसके लिए कृषक को पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से रू0 250/- की धरोहर धनराशि जमा करानी होगी। इसके लिए टोकन जेनरेट करने की व्यवस्था शक्ति चालित यंत्रों के लिए प्रस्तर-15 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार होगी। कृषक टोकन प्राप्त करने के उपरांत बैंक में रू0 250/- की धरोहर धनराशि जमा कर उसकी रसीद पोर्टल पर अपलोड करेगा। रसीद पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि से ही कृषक की सम्बन्धित यंत्र हेतु वरीयता सूची निर्धारित हो जायेगी। इस प्रकार से क्रय किये गये यंत्रों का सत्यापन कृषक को यंत्र स्वयं राजकीय बीज गोदाम पर लाकर उप निदेशक द्वारा निर्धारित कर्मचारी के माध्यम से कराना होगा तथा सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करायी जायेगी एवं कृषक को अनुदान का भुगतान 15 दिन के अन्दर कर दिया जायेगा। धरोहर धनराशि को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुदान भुगतान के साथ कृषक को ऑनलाइन वापस कर दी जायेगी।

5. जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा लक्ष्यों पर नियन्त्रण रखा जायेगा कि लक्ष्य से अधिक यन्त्र किसी भी दशा में न वितरित होने पाये।

6. वितरित किये जाने वाले सभी यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण भारत सरकार के एफ.एम.टी.टी.आई., अन्य संस्थान जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, के द्वारा प्रमाणित अथवा वी.आई.एस. या आई.एस.आई मार्क अवश्य होने चाहिए।

7. उप कृषि निदेशक स्तर से विकासखण्डवार कर्मचारियों को नामित करते हुये निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत यंत्रो/उपकरणों के वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

8. विक्रेता द्वारा किसान को कृषि यंत्र/उपकरण की बिक्री रसीद दो प्रतियो में उपलब्ध करानी होगी, जिसकी एक प्रति कृषि विभाग के विकासखण्डवार नामित कार्मिक के पास किसान द्वारा जमा किया जायेगा तथा दूसरी प्रति किसान के पास रहेगी, जिस पर किसान द्वारा कृषि विभाग के कार्मिक से पहली रसीद की प्राप्ति दर्ज करायी जायेगी।

9. कृषि यन्त्र/उपकरण क्रय के समय, क्रय स्थल पर ही जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा यंत्र क्रय के सत्यापन की व्यवस्था शासनादेश में निर्धारित रूपपत्र पर विकासखण्डवार नामित कर्मचारी के माध्यम से करायी जायेगी तथा किसान द्वारा क्रय किये गये यंत्र पर किसान का पार किसान सेवा योजना के पोर्टल पर उपलब्ध किसान का पंजीकरण संख्या, नाम तथा गॉव एवं विकास खण्ड के नाम का उल्लेख परमानेन्ट मार्कर से करते हुये अपना हस्ताक्षर करना होगा।

10. सत्यापनोपरान्त सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करते हुये डी.बी.टी. की कार्यवाही 15 दिन के अंदर सम्पादित करायी जायेगी।

11. यदि किसान का पंजीकरण फर्जी या डुप्लीकेट है अथवा किसान पहले उस यंत्र पर अनुदान (05 वर्ष के अन्तर्गत) ले चुका है, तो उसे योजनान्तर्गत लाभ देय नहीं होगा।

12. एक किसान अपनी आवश्यकतानुसार एक से अधिक विभिन्न कृषि यन्त्रों को क्रय कर अनुदान प्राप्त कर सकता है, परन्तु एक ही कृषि यन्त्र विशेष पर 5 वर्षों के अन्तर्गत केवल एक ही बार अनुदान प्राप्त कर सकता है।

13. अनुदान का वितरण करने से पूर्व पोर्टल पर किसान का पंजीकरण सम्बन्धी डाटा आवश्यक अभिलेखों के आधार पर अवश्य वैलीडेट कर लिया जाय।

(ख) **<u>रू0 10000 से अधिक अनुदान वाले शक्ति चालित कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों के वितरण तथा डी.बी.टी. के संबंध में</u>**

रू0 10000 से अधिक अनुदान वाले शक्ति चालित कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों के वितरण तथा डी.बी.टी. के लिये कृषि यंत्रों पर अनुदान पर वितरण के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु शासनादेश सं0-543/12-3-2017-100(61)/12 टी.सी. दिनांक 26.05.2017 के प्रस्तर 5.5 में दी गयी व्यवस्था को निम्न प्रकार सरलीकृत किया जाता है:-

14. यह सरलीकृत व्यवस्था समस्त रू0 10000 से अधिक अनुदान वाले शक्ति चालित कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान के डी.बी.टी. हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 से अग्रिम आदेशों तक लागू होगी।

15. योजना के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पारद किसान सेवा योजना के पोर्टल पर पंजीकृत कृषक को यंत्रवार टोकन निर्गत किये जायेंगे। निर्गत टोकन में टोकन वैधता की तिथि, जमानत धनराशि, यंत्र क्रय की रसीद एवं अभिलेखों को अपलोड की अंतिम तिथि, किसान का नाम ,पंजीकरण संख्या, गॉव एव विकास खण्ड एवं जनपद का नाम, यंत्र, जिस हेतु वह अनुदान का इच्छुक है तथा जमानत धनराशि जमां करने हेतु बैंक का विवरण (बैंक का नाम, खाता धारक का नाम, खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड इत्यादि) अंकित होगा। यह टोकन जनपद के निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक निर्गत होंगे।

16. धरोहर धनराशि जमा करने हेतु किसानों को सूचना व्यापक प्रचार-प्रसार कर उपलब्ध करायी जायेगा तथा लक्ष्य की सीमा तक धरोहर धनराशि जमा हो जाने पर आगे इसे जमा नही कराया जायेगा। उपरोक्त सभी किसानों का निस्तारण प्रक्रियानुसार हो जाने के पश्चात यदि लक्ष्य बचा रह जाता है तो पुन: वही कार्यवाही की जा सकेगी।

17. जमानत धनराशि का विवरण-

रू0 100000 तक के कृषि यंत्र हेतु जमानत धनराशि- रू0 2500-/

रू0 100000 से ऊपर के कृषि यंत्र हेतु जमानत धनराशि- रू0 5000-/

18. कृषक को टोकन प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर कृषि यंत्र हेतु निर्धारित जमानत धनराशि बैंक खाते में जमा करनी होगी तथा जमानत धनराशि जमा करने की रसीद पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यदि कृषक द्वारा एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित जमानत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि जमा कर पोर्टल पर जमा रसीद अपलोड नहीं की जाती है तो उसका टोकन स्वत: निरस्त हो जायेगा।

19. विभागीय पोर्टल पर ही कृषि यन्त्रों पर "पहले आओ-पहले पाओ" का सिद्वान्त धरोहर धनराशि की जमा रसीद अपलोड करने की तिथि एव क्रम के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जायेगी।

20. कृषकों की जमानत धनराशि जमा कराने हेतु बैंक एकाउन्ट यू0पी0 एग्रो के द्वारा खोला जायेगा, जिसे यू0पी0 एग्रो के वित्त नियन्त्रक एवं कृषि विभाग के संयुक्त कृषि निदेशक(अभियंत्रण) के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित किया जायेगा। वरीयता/चयन सूची बनाकर चयनित कृषकों को एस.एम.एस. भेजने की तिथि/सूचित करने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु 01 माह का समय दिया जायेगा। इस अवधि को कृषि निदेशक द्वारा किसान के अनुरोध एवं उप कृषि निदेशक की संस्तुति पर संतुष्ट होने के उपरान्त एक सप्ताह और बढाया जा सकता है। इस निर्धारित अवधि में यदि वह अभिलेख अपलोड नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त हो जायेगा। जमानत धनराशि जब्त होने की दशा में धनराशि यू0पी0 एग्रो की धरोहर हो जायेगी तथा जमा धनराशि पर अर्जित होने वाला ब्याज भी यू0पी0 एग्रो इस्तेमाल करेगा।

21. जिन कृषकों द्वारा अनुदान हेतु निर्धारित समय सीमा में पोर्टल पर यंत्र क्रय की रसीद सहित समस्त अपेक्षित अभिलेख अपलोड कर दिया जाता है तो सत्यापन उपरान्त उसे जमानत की धनराशि उसके बैंक खाते में 15 दिवस में ऑन लाइन वापस कर दिया जायेगा।

22. अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि से एक सप्ताह में यंत्र एवं अभिलेखों का सत्यापन किया जाना होगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी यंत्र की फोटो खींच कर विभागीय पोर्टल पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करेंगे ।

23. सत्यापनोपरान्त सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करते हुये डी.बी.टी. की कार्यवाही 15 दिन के अंदर सम्पादित करायी जायेगी।

24. यदि किसान का पंजीकरण डुप्लीकेट है अथवा किसान पहले उस शक्ति चालित कृषि यंत्र पर अनुदान (10 वर्ष के अन्तर्गत) ले चुका है, तो उसे योजनान्तर्गत लाभ देय नहीं होगा।

25. एक किसान अपनी आवश्यकतानुसार एक वित्तीय वर्ष में एक कृषि यन्त्र को (10 वर्ष के अन्तर्गत) क्रय कर अनुदान प्राप्त कर सकता है।

26. अनुदान का वितरण करने से पूर्व पोर्टल पर किसान का पंजीकरण सम्बन्धी डाटा आवश्यक अभिलेखों के आधार पर अवश्य वैलीडेट कर लिया जाय।

27. योजना के निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक "पहले आओ-पहले पाओ" के सिद्धान्त पर यंत्रों तथा उपकरणों का वितरण कराया जायेगा।

28. यदि किसी जिले में यन्त्रों की मॉग ज्यादा है एवं किसी जिले में कम है या किसी जिले द्वारा यन्त्रों के वितरण की प्रक्रिया धीमी है तो कृषि निदेशक के अनुमोदन से जनपदों के लक्ष्यों में संशोधन किया जा सकेगा।
प्रत्येक त्रैमास के अन्त में इस कार्यक्रम की समीक्षा कर आगे लक्ष्य निर्धारित किए जायेगें।

2- कृपया उपर्युक्त संशोधित प्रक्रिया एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

<u>संलग्नक: यथोक्त</u>

(अनुदानित कृषि यंत्रों की सूची)

भवदीय,
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

<u>सं0-7/2019/**648(1)/12-3-19**-तद्दिनांक:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, गन्ना विभाग, उ0प्र0 शासन। ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- प्रमुख सचिव, दुग्ध विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
13- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
14- निजी सचिव, मा0 कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन।
15- ग्राम्य विकास आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
16- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
17- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
18- महानिदेशक, उपकार, उ0प्र0 लखनऊ।
19- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 एग्रो, उ0प्र0 लखनऊ।
20- प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।
21- प्रबंध निदेशक, बीज विकास निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
22- प्रबंध निदेशक, यू.पी. स्टेट एग्रो।
23- निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
24- निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
25- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
26- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को ई-मेल से तत्काल प्रेषित करते हुए इसे कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाय तथा 02 दिन के पश्चात इस सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग कर आवश्यक निर्देश दिये जायें।
27 समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
28- समस्त अपर कृषि निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ।
29- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0।
30- समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।
31- समस्त उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, उ0प्र0।
32- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0।
33- समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उ0प्र0।
34- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संलग्नक–

(क) रू0 10000 तक अनुदान वाले कृषि यन्त्र–

1. **मानव चालित**–ड्रम सीडर,मैन्युअल स्प्रैयर(नैपसेक स्प्रैयर/फुट स्प्रैयर,/बैटरी आपरेटेड स्प्रैयर),चैफ कटर, इको फ्रेण्डली लाइट ट्रेप, कोनो वीडर, ग्रास वीड स्लेशर, वीडर, वर्ड स्केरर, सीड ट्रीटमेन्ट ड्रम, डिवलर इत्यादि।
2. **पशु चालित**–एम0बी0 प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर ब्लेड, फरो ओपनर, रीजर, पडलर, पैडी प्लान्टर, सीड कम फर्टी लाइजर ड्रिल, प्लान्टर, रेज्ड वेड प्लान्टर इत्यादि।
3. **शक्ति चालित**–पावर नैपसेक स्प्रैयर/पावर आपरेटेड स्प्रैयर, चीजल प्लाऊ, पावर नैपसेक स्प्रैयर/पावर आपरेटेड स्प्रैयर (16 ली0 से ऊपर),पावर नैपसेक मिस्ट ब्लोअर स्प्रैयर कम डस्टर(>1.0 हार्स पावर), ब्रस कटर इत्यादि।

(ख) रू0 10001 से 100000 तक अनुदान वाले कृषि यन्त्र–

1 **शक्ति चालित**–पावर टीलर, ट्रैक्टर आपरेटेड स्प्रैयर(बूम टाइप), एमबी प्लाऊ, पावर वीडर, रिवर्सेबुल हाइड्रोलिक/मैकेनिकल प्लाऊ, बेलर, रीपर, डिस्क प्लाऊ, चीजल प्लाऊ, कल्टीवेटर, रोटो कल्टीवेटर, हैरो/पावर हैरो, लेवल ब्लेड, फरो–ओपेनर,रीजर, बीड स्लेसर, रोटो पडलर, बन्ड फार्मर, क्रस्ट ब्रेकर, रोटावेटर, सीड कम फर्टी ड्रिल, पोस्ट होल डीगर, पौटेटो प्लांटर, पौटेटो डिगर, ग्राउन्ड नट डीगर, शुगर केन कटर प्लान्टर, न्यूमेटिक प्लान्टर/अन्य प्लान्टर, शुगर केन थ्रेस कटर, मल्टी क्राप थ्रेसर, पावर आपरेटेड चैफ कटर, पैडी थ्रेसर, सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम (सुपर एस0एम0एस0), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, श्रव मास्टर, कटर स्प्रेडर, रिवर्सेबुल एमबी प्लाऊ, रोटरी स्लेशर, जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, ओनियन हार्वेस्टर, मोअर, मेज सेलर इत्यादि।

(ग) रू0 100000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यन्त्र/उपकरण–

1. **शक्ति चालित**–ट्रैक्टर (**2WD** 20 से 40 पी0टी0ओ0 एच0पी0), ट्रैक्टर आपरेटेड स्प्रैयर (एयर कैरियर/एसिस्टेड), ट्रैक्टर आपरेटेड इलेक्ट्रो स्टैटिक स्प्रैयर, लेजर लैण्ड लेवलर, स्ट्रारीपर, मीनी राइस मिल, मीनी दाल मिल, मिलेट मिल, आयल मिल बिद फिल्टर प्रेस, पैकजिगं मशीन, काप रीपर कम्बाइन्डर, कम्बाइन हार्वेस्टर, सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी/राइस ट्रांसप्लांटर, रेक इत्यादि।

नोट– उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई कृषि यन्त्र किसी योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित होने पर कृषि निदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदन से सम्मिलित किये जा सकेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है